

प्रेस नोट – थाना अमृतपुर

दिनांक – 01.04.2026

एसओजी/सर्विलांस व थाना अमृतपुर पुलिस टीम द्वारा हत्या के आरोप में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अमृतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 140/25 धारा 140(1)/103(1)/238 बीएनएस में नामजद/वांछित अभियुक्त रामू यादव को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. रामू यादव पुत्र अजयपाल यादव निवासी ग्राम गूजरपुर पमारान थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 21.07.2025 को आवेदिका द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि आवेदिका का पुत्र दिनांक 20.07.2025 को शाम करीब 08.00 बजे घर से बिना बताये कहीं चला गया है। आवेदिका की सूचना के आधार पर दिनांक 21.07.2025 को गुमशुदगी दर्ज की गयी तथा गुमशुदा की पत्नी के द्वारा पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ को दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर उपरोक्त गुमशुदगी को दिनांक 31.08.2025 को मु0अ0सं0 140/25 धारा 140(3) बीएनएस बनाम रामू यादव पुत्र अजयपाल(बाइस्तवा) आदि 06 नफर समस्त निवासी ग्राम गुजरपुर पमारान थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में प्राप्त साक्ष्यों, जानकारी व अन्य उपलब्ध साक्ष्य से अभियोग में नामित रामू यादव उपरोक्त की गिरफ्तारी कर घटना का सफल अनावरण कर अपहर्त आवेदिका के पुत्र के शव को अभियुक्त रामू यादव उपरोक्त के खेत से अभियुक्त की निसानदेही पर शव बाहर निकालकर/बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर अपनी गलती की माँफी मांगते हुये अपने बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त रामू यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 140/25 धारा 140(1)/ 103(1)/238 बीएनएस थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण-

01. घटना में प्रयुक्त 01 फावडा।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली थाना अमृतपुर पुलिस टीम-

01. थानाध्यक्ष श्रीमती रक्षा सिंह मय टीम

गिरफ्तार करने वाली एसओजी पुलिस टीम-

01. उ0नि0 श्री सचिन चौधरी एसओजी प्रभारी मय टीम

गिरफ्तार करने वाली सर्विलांस पुलिस टीम-

01. उ0नि0 श्री सन्त कुमार (प्रभारी सर्विलांस टीम)

02. क0ऑ0 अमित शर्मा

03. हे0का0 संदीप राव

04. हे0का0 अनुराग कुमार

05. हे0का0 सचेंद्र सिंह

06. का0 राहुल शर्मा

मीडिया सेल फतेहगढ़।

प्रेस नोट - थाना जीआरपी फर्रुखाबाद**दिनांक 01.04.2026****थाना जीआरपी फर्रुखाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त को चोरी किये गये 02 मोबाइल सहित किया गिरफ्तार**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक रेलवे उ0प्र0 व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक रेलवे प्रयागराज व पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग आगरा श्री अनिल कुमार झा के दिशा निर्देशन मे चलाये जा रहे, चलती ट्रेनो एवं रेलवे स्टेशनों पर चोरी/छिन्नाई की आपराधिक घटनाओं की रोकथाम अभियान के क्रम मे थाना जीआरपी फर्रुखाबाद द्वारा 01 अभियुक्त मो0 तौफीक पुत्र शमशाद निवासी मोहल्ला किदवई नगर थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज को चोरी किये हुये 02 मोबाइलों के साथ गिरफ्तार कर गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना जीआरपी फर्रुखाबाद पर मु0अ0सं0 09/2026 धारा 303/317(2) बीएनएस पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

01. मो0 तौफीक पुत्र शमशाद निवासी मोहल्ला किदवई नगर थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज

आपराधिक इतिहास

01. मु0अ0सं0 09/2026 धारा 303/317(2) बीएनएस थाना जीआरपी फर्रुखाबाद ।

02. मु0अ0सं0 308/2023 धारा 303(2) बीएनएस थाना जीआरपी सूरत राज्य गुजरात ।

बरामदगी का विवरण-

01. दो चोरी के मोबाइल वीवो व सैमसंग कम्पनी

गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्मचारीगण-

01. प्र0नि0 श्री शेर सिंह थाना जीआरपी फर्रुखाबाद

02. उ0नि0 श्री संजीव कुमार चौकी जीआरपी अनवरगंज

03. हे0का0 446 वीरेन्द्र सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़।